न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 664–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 11–3–2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 680/2012–13/अपील.

प्रकाश चौबे पुत्र स्व. श्री कृष्णस्वरूप चौबे
निवासी केला कृपा कॉलौनी
टापू मोहल्ला, लश्कर, ग्वालियर .....आवेदक

विरूद्ध

1– अशोक
2– विनोद
3– पप्पू
4– अजय
5– गुड्डी
6– मुन्नी
समस्त पुत्र/पुत्री लक्ष्मीदेवी
निवासी गरगज के हनुमान कालौनी
बहोड़ापुर, ग्वालियर
7– पदमा चौबे पत्नी भरत चौबे
8– अमन चौबे पुत्र भरत चौबे
9– सुरेश पुत्र कृष्णस्वरूप चौबे
10– उमा पुत्री कृष्णस्वरूप चौबे .....अनावेदकगण
11– राघव कृषि प्रा0लि0 द्वारा डायरेक्टर
आलोक रघुवंशी पुत्र रणधीरसिंह
12– राघव बिल्डर्स प्रा0लि0 द्वारा डायरेक्टर
आलोक रघुवंशी पुत्र रणधीरसिंह
13– श्रीमती सरोज पत्नी रणधीर सिंह रघुवंशी
दैनिक भास्कर लाईन, जयेंद्रगंज
लश्कर, ग्वालियर .....तरतीवी पक्षकार

श्री अनूप गुप्ता, अभिभाषक, आवेदक
श्री आलोक शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1 से 6

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/12/2015 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–3–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि मौजा कोटा वीरान स्थित भूमि सर्वे कमांक 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/1, 17, 18, 20, 21 एवं 22 कुल रकबा 3.794 हेक्टेयर के संबंध में तहसीलदार, ग्वालियर द्वारा नामांतरण पंजी की प्रविष्टि कमांक 1 पर दिनांक 19–12–2001 को अनावेदक कमांक 1 लगायत 6 के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित किया गया । उक्त आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, लश्कर, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 9–7–2008 को आदेश पारित कर प्रथम अपील स्वीकार की जाकर मृतक भूमिस्वामी राधाबाई के वारिसानों की जानकारी लेते हुए उन्हें साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिया जाकर प्रकरण का गुण–दोष पर निराकरण किये जाने के निर्देश दिये गये । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के पालन में तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 58/07–08/अ–6 दर्ज कर दिनांक 14–10–11 को आदेश पारित कर मृतक लक्ष्मीदेवी के 1/2 हिस्से पर अनावेदक कमांक 1 लगायत 6 का नामांतरण स्वीकृत किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 17–12–2012 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 11–3–2013 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि 30 वर्ष पुरानी जन्मपत्री एवं विवाह कार्ड के आधार पर लक्ष्मीदेवी को भैरो प्रसाद की पुत्री माना है, जो कि उचित नहीं है । यह भी कहा गया कि लक्ष्मीदेवी के पति पूर्णानंद जीवित हैं, परन्तु वे न्यायालय में कभी भी उपस्थित नहीं हुए हैं । तर्क में यह भी कहा गया कि इस न्यायालय द्वारा पूर्व में आदेश पारित किया गया है कि जन्मपत्री को नहीं पढ़ा जाये, फिर भी तहसील न्यायालय द्वारा जन्मपत्री के आधार पर लक्ष्मीदेवी को भैरो प्रसाद की पुत्री मानने में अवैधानिकता की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा मुख्त्यारआम की हैसियत से साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, जो कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के अन्तर्गत ग्राह्य योग्य नहीं है । यह भी कहा गया कि लक्ष्मीदेवी और पूर्णानंद स्वयं अहम गवाह है, परन्तु उन्हें उपस्थित नहीं कराया गया है, ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय को दस्तावेज प्रमाणित करना थे, जो कि नहीं किये गये हैं । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा लक्ष्मीदेवी को परिवार का सदस्य मानने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 लगायत 6 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय के समक्ष लक्ष्मीदेवी के पुत्रों द्वारा जन्मपत्री एवं विवाह कार्ड से भरोसी प्रसाद की पुत्री होना प्रमाणित किया गया है । यह भी कहा गया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 में प्रावधानित है कि या तो दस्तावेज 30 वर्ष पुराना हो, और यदि दस्तावेज अधिक पुराना नहीं है, तब उसे साक्ष्य से सिद्ध करना होगा । इस आधार पर कहा गया कि चूंकि जन्मपत्री एवं विवाह कार्ड 30 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं, इसलिए वह स्वयं सिद्ध है, उसे साक्ष्य से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि यह प्रमाणित है कि लक्ष्मीदेव0ी राधाबाई की पुत्री है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक की ओर से व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र निगरानी में ग्राह्य नहीं है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ अनावेदक कमांक 7 लगायत 13 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय के समक्ष अनावेदक कमांक 1 लगायत 6 द्वारा लक्ष्मीदेवी को मृतक भूमिस्वामी भैरो प्रसाद तथा मृतक राधाबाई की पुत्री होना साक्ष्य से प्रमाणित किया गया है । इसके विपरीत आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि लक्ष्मीदेवी मृतक भूमिस्वामी भैरो प्रसाद एवं राधाबाई की पुत्री नहीं है, ऐसी स्थिति में लक्ष्मीदेवी के हिस्से के 1/2 भाग पर अनावेदक कमांक 1 लगायत 6 नामांतरण कराने के अधिकारी होने से तहसीलदार द्वारा दिनांक 14–10–2011 को आदेश पारित कर अनावेदक कमांक 1 लगायत 6 का नामांतरण प्रश्नाधीन भूमि पर करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, और तहसील न्यायालय के विधिसंगत आदेश की पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं है । दर्शित परिस्थितियों में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–3–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर